

बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० - 15/14-15

1. परिचयात्मक :-

(क)	अंकेक्षित लेखा का नाम --	प्रखण्ड विकास कार्यालय, पताही (पू०च०)
(ख)	अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि --	वर्ष 2009-10 से 2010-11 तक।
(ग)	प्रशासी विभाग का नाम --	ग्रामीण विकास, विभाग।
(घ)	अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल--	(i) श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, उप विकास आयुक्त। 1.4.09 से 25.2.10 तक (ii) .. हरिहर प्रसाद सिंह, उप विकास आयुक्त 26.2.10 से 7.4.10 तक (iii) .. हरिशंकर सिंह, उप विकास आयुक्त 8.4.10 से 12.7.10 तक (iv) .. शशिभूषण तिवारी, उप विकास अ युक्त 13.7.10 से 31.3.11 तक।
(ङ)	अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम एवं प. नाम कार्यकाल --	(i) श्री राकेश कुमार झा, प्रखण्ड विकास, पदाधिकारी 1.4.09 से 15.10.09 तक (ii) श्री विपिन कुमार दास प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 16.10.09 से 3.04.10 तक (iii) र० सुनील कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 4.4.10 से 15.8.10 तक। (iv) श्री विष्णुदेव प्रसाद, प्रखण्ड विकास

		पदाधिकारी 16.8.10 से 28.2.11 तक (v) .. शशिकुमार सिन्हा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी 28.2.11 से 31.3.11 तक। (vi) .. अर्जुन प्रसाद, प्रधान सहायक 1.4.09 से 31.3.11 तक (vii) .. रामाज्ञा प्रसाद, नाजिर 1.4.09 से 15.12.09 तक (viii) .. मजीन्द्र कुमार, नाजिर 16.12.09 से 31.3.11 तक
(च)	अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं पदनाम :-	(i) श्री शशि कुमार सिन्हा, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (ii) .. मणीन्द्र कुमार, नाजिर (भूतपूर्व)
(छ)	अंकेक्षक का नाम -	(i) श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह व0अं0 - 2 (ii) .. रामाशंकर राय, व0अं0 - 2
(ज)	अंकेक्षक प्रारंभण तिथि -	27.9.12
(झ)	अंकेक्षण समाप्ति की तिथि -	27.4.13
(ञ)	अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस	50 कार्य दिवस
(ट)	अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची -	अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर अंकित हैं।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र -

(क) अंकेक्षण का प्रकार - सामान्य।

(ख) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि - 3286 दिनांक-16.9.60
ज्ञापक-121/21.10.12 एवं ज्ञाप सं0-98 दिनांक-18.9.2012

(ग) कार्यालय का कार्यक्षेत्र ---

कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के स्थापना के अलावा सरकार द्वारा निर्देशित प्रखण्ड वासियों के विकास का कार्य, कृषि क्षेत्र में विकास का कार्य, गरीबी रेखा से नीचे के लोगो को इन्दिरा आवास योजना के तहत आवास मुहैया के चुनाव के समय सफल वा ईमानदारी पूर्वक चुनाव सम्पन्न कराना आपात् स्थिति में सरकार द्वारा व्यवस्था को संचालित करना वृद्धावस्था पेंशन जरूरतमन्द लोगो को मुहैया कराना प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं के बीच छात्रवृत्ति वितरण आवंटित राशि का नियमतः व्यय एवं सभी योजनाओं का कार्यान्वित करना।

(घ) वित्तीय श्रोत :-

सरकार द्वारा कार्यालय को राशि का आवंटन किया गया जिसे विपत्र द्वारा जिला कोषागार मोतीहारी से निकासी किया पाया गया। इसके अलावा जिला पदाधिकारी जिला कल्याण पदाधिकारी, एवं उप विकास आयुक्त मोतीहारी द्वारा चेक व बैंक ड्राफ्ट द्वारा भी कार्यालय को राशि मुहैया कराया गया।

(ङ) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति :-

वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में जिला कोषागार, मोतीहारी से निकासी की गयी राशि का सत्यापन शत प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया उक्त अवधि में कार्यालय द्वारा कोई राशि कोषागार में जमा नहीं की गयी इसलिए जमा राशि का सत्यापन नहीं किया गया।

(च) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षणप्रतिवेदनका अनुपालन की स्थिति -

महालेखाकारका कोई प्रतिवेदनअंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः अनुपालन नहीं किया जा सका।

(छ) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति -

वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अतः अनुपालन का प्रश्न नहीं उठा।

(3) वित्तीय समीक्षा

वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 का आवंटन व्यय विवरणी परिशिष्ट (ख) पर अंकित है। निकासी के पश्चात् शेष राशि को प्रत्यार्पित कर दी गयी, जिसकी तिथि एवं पत्रांक कार्यालय द्वारा नहीं दिया गया। पूछने पर संतोष जनक उत्तर नहीं दिया गया। अतः बचत राशि का प्रत्यार्पण हुआ अथवा नहीं की जाँच सक्षम पदा० से कर वस्तु स्थिति से वित्त (अ०) विभाग को सूचित किया जाय।

- (i) आवंटन की स्थिति में — सगी निकासी आवंटन के अन्तर्गत पायी गयी।
- (ii) अनुदान की स्थिति में — क्या अनुदान से अधिक राशि का व्यय किया गया — नहीं।
- (iii) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था — उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित करने के सम्बन्ध में कोई प्रमाण अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया गया।
- (iv) रोकड़ पंजी में संवरण शेष के भौतिक सत्यापन की स्थिति — अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि को संवरण शेष का भौतिक सत्यापन नहीं कराया गया जबकि इसकी लिखित रूप से अंकेक्षण द्वारा आग्रह किया गया था। रोकड़ पुस्त अद्यतन नहीं लिखी पायी गयी।
- (v) रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति :—

दिनांक—31.3.11 को सामान्य रोकड़ पुस्त का संवरण शेष रू० 8,37,21,472.25 पाया गया। अंकेक्षण क्रम में संवरण शेष में रू० 28,86,559.54 का कोई लेखा जोखा नहीं पाया गया। इस राशि के सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

जॉचोपरान्त संवरण शेष रू० (8,37,21,472.25) की स्थिति निम्नवत् पायी गयी।

(क) नगद राशि	—	1,00,000.00
(ख) बैंक खाता में कुल राशि	---	75,74,70,25.18
(ग) बैंक खाता में सूद की राशि	—	3,70,99,75.53
(घ) अग्रिम की राशि	---	13,20,48,00.00
(ङ) असमायोजित अभिश्रव की राशि	—	32,69,39,00.00

(च) नरेगा में लम्बित राशि	—	27020.00
(छ) कमी राशि (जिसका कोई लेखा जोखा नहीं) —		<u>28,86,559.54</u>

8,37,21,472.25

(आठ करोड़ सैतीस लाख एक्कीस हजार चार सौ बहत्तर रूपया पच्चीस पैसे मात्र)

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण —

शीर्ष	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त
2515 (ख)	1. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी	1	1	—
	2. प्रसार पदाधिकारी	1	1	—
	3. प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी	1	—	1
	4. प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी	1	—	1
	5. प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी	1	—	1
	6. „ सांख्यिक „	1	—	1
	7. „ पशुपालन „	1	—	1
	8. „ सहकारिता प्रसार „	1	—	1
	9. „ महिला प्रसार „	1	—	1
	10. „ कनीय अभियन्ता	1	—	1
	11. „ प्रधान लिपिक	1	0	01
	12. „ नाजिर	1	0	1
	13. „ लिपिक	5	3	2
	14. „ जनसेवक	10	3	7
	15. „ चालक	1	1	—
	16. „ कार्यालय परिचारी	4	2	2
	17. „ झाड़ूकश	1	1	—
2515	1. पंचायत सचिव	15	7	8
	2. प्रमुख का आदेशपाल	1	—	1
2505	1. कनीय अभियन्ता	1	—	1
2235	1. लिपिक	1	1	—

2401	1 प्रधान लिपिक	1	1	—
	2 वरीय लिपिक सह नाजिर	1	1	0
	3. पत्राचार लिपिक	1	—	1
	4. आशु लिपिक	1	—	1
	5. टंकक	1	—	1
	6. भण्डार पाल	9	1	8
	7. कार्यालय परिहारी	3	2	1
2053	1. उर्दू अनुवादक	1	—	1
	2. सहायक उर्दू अनुवादक	1	—	1
	3. उर्दू टंकक	1	—	1

भाग — 2

(5) कंडिका (5) —रु0 2886559.54 संवरण शेष राशि में कम दिखाकर सरकारी शेष का गवन —

सामान्य रोकड़ पुस्त में दिनांक 31.3.11 का संवरण शेष रूपया 8,37,21472.25 दर्शाया गया। जिसका विवरण निम्नवत् उल्लेखित पाया गया —

(i) बैंक में (चेक पंजी के अनुसार)	--	7,63,13,640.21
(ii) अग्रिम राशि के रूप में	—	1747722.45
(iii) अभिश्रव	--	3269390.00
(iv) नगद	—	27020.00
(v) नरेगा में लम्बित	--	2263699.59
(vi) कमी राशि	—	2263699.59

83721472.25

पूर्व में पदाधिकारी द्वारा पदभार ग्रहण के समय संवरण शेष में कमी के सम्बन्ध में सामान्य रोकड़ पुस्त में निम्नलिखित टिप्पणी अंकित पायी गयी —

क्र० सं०	पदभार ग्रहण तिथि	पदभार देनेवाले पदा० का नाम	पदभार ग्रहण करने वाले पदा० का नाम	रोकड़ पुस्त का शेष रोकड़	सामान्य रोकड़ पुस्त में पाई कमी वेशी सम्बन्धि टिप्पणी।
1.	16.10.09	श्री राकेश कुमार झा प्र०वि०पदा०	श्री विपिन कुमार यादव प्र०वि०पदा०	62340265.25	अभिश्चव मद में सं० 1513887.20 की कमी अग्रिम क्रम में राशि रू० 84,853.95 बैंक पंजी एवं सा०रो०पु० में
2.	4.4.2010	श्री विपिन कुमार यादव प्र०वि०पदा०	88984081.25 श्री सुनील कुमार प्र०वि०पदा०	राशि में रू० 974309 रू० 2927887.28 की कमी	
3.	22.2.11	.. विसुनेदेव प्रसाद प्रभारी (अनुमन्ड पदाधिकारी दयाल प्रभार नही सौपने से स्वतः प्रभार)	श्री शशि कुमार सिन्हा प्र०वि०पदा०	123274450.25	शेष रोकड़ में रू० 3891042.82 की कमी पाई गयी।

जॉचो परान्त संवरण शेष रू० 83,72,21,472.25 की स्थिति निम्नवत् पायी गयी।

(i) बैंक में चेक पंजी के अनुसार — 76118022.71

(बैंक पासबुक एवं स्टेटमेंट के अनुसार)

(ii) अग्रिम राशि के रूप में — 1320480.00

iii) अंकित अभिश्रव राशि	—	3269390.00
iv) नरेगा में लम्बित राशि	—	27020.00
v) नगद राशि	—	100000.00
vi) कमी राशि	-	2886559.54
		83721472.25

इस तरह संवरण शेष की विस्तृत जाँच में बैंक पंजी में अन्तर राशि (76313640.21-76118022.71=195617.50+अग्रिम राशि में अन्तर राशि (1747722.45-1320480.00)=427242.45+पंजी में उल्लेखित कमी राशि 2263699.59 कुल रूपया 2886559.54 का व्योरा नहीं पाया गया। यानि रूपया 2886559.54 संवरण शेष के भौतिक सत्यापन के क्रम में कमी पाये जाने के कारण सरकारी कोष का गवन किया गया। इसके सम्बन्धित में निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया गवन के दोषी व्यक्ति के उपर विधि सम्मत एवं विभागीय कार्यवाई की जाँच जिसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग से अवश्य दी जाय। बैंक में शेष राशि खाते वार विवरणी एवं अग्रिम राशि की विवरणी परिशिष्ट "ग" पर अंकित है।

- (6) कंडिका रू0 4,90,401.00 नाजिर रसीद से प्राप्त राशि रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में अंकित नहीं कर सरकारी कोष का गवन —

जाँच में पाया गया कि पंचायत चुनाव से सम्बन्धित नामांकन शुल्क दिनांक-26.2.2011 से 7.3.2011 के बीच नाजिर रसीद द्वारा कुल प्राप्त राशि रू0 4,90,401 का रोकड़ पुस्त एवं सामान्य रोकड़ पुस्त में 31.3.2011 तक प्रविष्टी दर्ज नहीं पायी गयी जिसकी विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'घ' पर अंकित है इस राशि का जमा न तो किसी बैंक खाते में और न तो जिला कोषागार मोतीहारी में ही जमा पाया गया और न ही किसी मद में व्यय ही किया गया था।

इस राशि के सम्बन्ध में रोकड़ पुस्त में प्रविष्टी बैंक खाता में जमा एवं जिला कोषागार में जमा एवं व्यय सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

नाजिर रसीद से प्राप्त राशि ₹0 4,90,401.00 के सरकारी कोष का गवन किया गया इसके सम्बन्ध में उत्तरदायी व्यक्ति पर विधि सम्मत एवं विभागीय कार्यवाई कर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय।

- (7) कंडिका पोशाक मद में वास्तविक व्यय से अधिक व्यय राशि ₹0 1500.00 दिखलाकर सरकारी कोष का गवन —

महादलित छात्र/छात्राओं को पोशाक राशि मद (शीर्ष महादलित) में वितरित राशि की जाँच में पाया गया कि वास्तविक व्यय से 1500.00 रुपये अधिक व्यय दिखाकर सरकारी कोष को कम कर दिया गया। अभिश्रव सं० 6252 जाँच में पाया गया रा० प्रा० विद्यालय नोनफरवा (मुशहर टोली द्वारा पोशाक राशि हेतु कुल 58 छात्र-छात्राओं सूची भेजी गयी लेकिन इस सूची में से मात्र 55 छात्र ने ही 5 की प्रति छात्र राशि दिनांक 5.10.09 को प्राप्त किया। इस तरह $55 \times 500 = 27500.00$ राशि का ही वितरण पाया गया (लेकिन व्यय पक्ष में 28000.00 दिखलाया गया। इस तरह वास्तविक व्यय से 500 रुपये अधिक दिखलाकर सरकारी कोष को कम कर दिया गया। इसी तरह अभिश्रव सं० 6261 रा०म०वि० गमहरिया जाँच क्रम में पाया गया कि विद्यालय ने कुल 54 छात्र छात्राओं की सूची पोशाक राशि हेतु भेजी लेकिन उसमें से मात्र 52 छात्र/छात्राओं ने ही 500/- रुपये प्रति की दर से दिनांक-5.10.09 को राशि प्राप्त किया। कुल वास्तविक व्यय $52 \times 500 = 26000$ हुआ लेकिन व्यय पक्ष में 27000.00 दिखलाकर 1000.00 कर वास्तविक व्यय से अधिक दिखलाकर सरकारी कोष को कम कर दिया गया। इसके सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः अभिश्रव सं० 6252 द्वारा वास्तविक व्यय से 500.00 रुपया अधिक अभिश्रव एवं 6261 द्वारा 1000.00 रुपया वास्तविक व्यय से अधिक व्यय दिखलाने के फलस्वरूप कुल 1500.00 रुपये का सरकारी कोष का गवन किया गया। उत्तरदायी व्यक्ति पर विभागीय कार्यवाही की जाय। कार्यवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाय।

- (8) कंडिका-8 ₹0 39,71,444.00 डिजल अनुदान की अवितरित राशि वापस करने का सुझाव —

वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में डिजल अनुदान मद में प्रखण्ड अन्तर्गत स्थित कुल पन्द्रह पंचायत के सभी किसानों को वितरण हेतु पंचायत सचिवों/मुखिया को कुल 1,12,24,930 का भुगतान किया गया। जाँच में पाया गया कि पंचायतों को भुगतान की गयी कुल राशि 1,12,24,930 में से मात्र 72,53,486.00 रुपये का ही किसानों को डिजल

अनुदान की राशि का भुगतान किया जा सका। शेष राशि 39,71,444.00 प्राप्तिकर्ता (पंचायत सचिव/मुखिया) के पास बची रह गयी। शेष राशि का व्योरा अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः शेष अवतिरित राशि 39,71,444.00 को सम्बन्धित पंचायत सचिव/मुखिया में प्राप्त कर संबंधित कोष अन्यथा कि स्थिति में तदनुसार कार्यवाई की जाये एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी दी जाय। शेष राशि सम्बन्धित विवरणी परिशिष्ट "ड" पर देखा जा सकता है।

(9) ₹0 1,50,000.00 सोलर प्लेट लगाने हेतु दी गई अग्रिम राशि समायोजन हेतु लम्बित -

जॉच में पाया गया कि तेरहवी वित्त आयोग के अर्न्तगत योजना सं० 1/10-11 द्वारा बी०आर०सी० स्थित करतुरबा गाँधी बालिका विद्यालय के विभिन्न कमरों एवं परिसर में कुल 5 (पाँच) सोलर लाईट लगाने हेतु अभिकर्ता श्री जीतेन्द्र कुमार यादव जुगार एक व्यवस्था सिकन्दरपुर, मुजफ्फरपुर से 43000/- प्रति सोलर लाईट एकरारनामा किया। कुल प्राकलित राशि 2,15,000.00 था। योजना कार्यान्वयन हेतु श्री कुमार को दिनांक 31.1.11 को 1,50,000.00 (एक लाख पच्चास हजार) रूपया अग्रिम राशि दी गयी।

आदेश फलक पृष्ठ सं० 3 पर दिनांक 9.3.11 का कार्यालय टिप्पणी से दृष्टिगोचर होता है कि अनुमण्डल पदाधिकारी पकड़ी दयाल के भ्रमण दौरा में इस योजना में लगाये गये सोलर लाईट की जॉच की गयी जॉच में पाया गया कि एजेन्सी द्वारा दिये गये कोटेशन के मापदण्ड के अनुसार सोलर लाईट नहीं लगाया गया था। जो आपत्तिजनक है। उनके द्वारा लगाये जा रहे सोलर लाईट की तुरन्त बदलवाकर कोटेशन के मापदण्ड के अनुसार अधिक अपित कराने का आदेश दिया जाय। कार्यालय द्वारा दिनांक 6.8.2011 को एजेन्सी को इस मामले में नोटिस निर्गत करने को कहा गया। तब से अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक इसके सम्बन्ध में कोई कार्यालय द्वारा कोर्ट कार्यवाई नहीं की पायी गयी कार्यालय द्वारा इसके सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया। इतने समय बीत जाने तक व अनुमण्डल पदा० के आदेश के बावजूद कार्यालय द्वारा अबतक कोई कार्यवाही नहीं किया जाना खेदजनक बात है। कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण योजना कार्यपूर्ण होने की सम्भावना भी क्षीण प्रतीत होता है। ऐसी परिस्थिति में एजेन्सी को दी गयी अग्रिम राशि को वसूलकर अग्रिम का समायोजन किया जाय एवं सम्बन्धित अभिकर्ता

के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जाय। तथा इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी दी जाय। प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

10) कंडिका (10) रू0 12,010 वेतन मद में अधिक भुगतान वसूली योग्य -

शीर्ष 2515 (ख) वेतन भुगतान जाँच में पाया गया कि श्री रवीन्द्र कुमार ठाकुर जनसेवक एवं श्री अशोक कुमार पाण्डेय जनसेवक को दिनांक 1.1.10 से 31.10.10 तक बकाया मंहगाई भत्ता की राशि का भुगतान विपत्र सं0 48/10-11 द्वारा दिनांक-24.1.11 को उपर्युक्त दोनो कर्मचारी को 17407.00 के बजाय 23412.00 कर दी गयी। इस तरह प्रत्येक को 6005.00 कुल मिलाकर 12010.00 रुपये का अधिक भुगतान किया गया। इसके सम्बन्ध में निर्गत आपत्तिकृत अनुपालन नहीं किया गया।

अतः अधिक भुगतान सम्बन्धित व्यक्ति से वसूलकर जिला कोषागार, मोतीहारी में जमाकरा दी जाय। इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी जाय।

विवरणी निम्न प्रकार है :-

कर्मचारी का नाम पदनाम	मं0भ0 अवधि मूल वेतन	बकाया भुगतान योग्य राशि (मं0भत्ता)	पूर्व भुगतीत राशि	में में भुगतान यो ग्य राशि
2	3	4	5	6
श्री रवीन्द्र ठाकुर जनसेवक	1.1.10 से 30.6.10 @ 16470 / -- 1.7.10 से 31.10.10 @ 16970 / --	16470X6X35% 65133.00 16970X4X45%	47726.00	17407.00
श्री अशोक कुमार पाण्डेय	1.1.10 से 30.6.10 @ 16470 / -- 1.7.10 से 31.10.10 @ 16970 / --	16470X6X35% 65133.00 16970X4X45%	47726.00	17407.00 34814.00

भुगतान की गई राशि	अधिक भुगतान वसूली योग्य राशि (7-8)
7	8
23412.00	6005.00
23412.00	6005.00
46824.00	12010.00

11) रू0 5,187 सामाचार पत्र खरीदगी कर प्रावधान के विरुद्ध भुगतान वसूली योग्य -

अंकेक्षण में पाया गया कि वर्ष 2009-10 में कार्यालय द्वारा कुल रू0 5187.00 के सामाचार पत्रों (हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण राष्ट्रीय सहारा एवं इन्डिया टूडे) की खरीदगी की गयी जिसका भुगतान अभिश्रव पारित कर विपत्र द्वारा निकासी कर भुगतान किया पाया गया। ज्ञातव्य हो कि बिहार सरकार वित्त (विभाग) के पत्रांक 9378 दिनांक-4.7.78 द्वारा जिला स्तर पर समाहर्ता को छोड़कर किसी भी कार्यालय प्रधान द्वारा सामाचार पत्र की खरीदगी एवं भुगतान पर रोक लगा दी गयी थी। फिर भी कार्यालय द्वारा नियम के विरुद्ध सामाचार पत्र की खरीदगी कर भुगतान जारी रखा गया, जो अनियमित है। इसके सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः प्रावधान के विरुद्ध सामाचार पत्र की खरीदगी कर रू0 5187.00 के भुगतान को उत्तरदायी व्यक्ति से वसूलकर कोषागार में जमा करा दी जाय। इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी दी जाय।

विवरणी परिशिष्ट "च" पर अंकित है।

12) कंडिका रू0 1428.00 पशुगणना प्रगणकों को मानदेय भुगतान किये बिना व्यय दिखलाने के कारण राशि वसूली योग्य -

पशुगणना प्रगणकों के मानदेय भुगतान की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित पशुगणना प्रगणकों को मानदेय भुगतान पंजी में अंकित नाम के सामने मानदेय की राशि अंकित थी, लेकिन संबंधित प्रगणक द्वारा मानदेय की राशि की प्राप्ति नहीं की गई थी, फिर भी उस राशि को संबंधित व्यक्ति के नाम भुगतान दिखलाकर रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में प्रविष्टि की पायी गयी।

विवरण निम्न प्रकार है --

क्र०	प्रगणक भुगतान पंजी में क्रमांक	प्रगणक का नाम जिसने राशि की प्राप्ति नहीं थी	रोकड़ पुस्त में व्यय पक्ष में प्राविष्टी तिथि	व्यय दिखलाई गयी मानदेय राशि वसूली योग्य।
1.	11	श्री सुनील तिवारी पताही	20.2.10	357.00
2.	21	.. रोशन कुमार, बाटा शंकर	..	357.00
3.	33	.. सुरेश रांडत, बोकारन खुर्द	..	357.00
4.	38	.. लालू कुमार पताही	..	357.00
				1428.00

उक्त राशि के सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया है।

अतः रू० 1428.00 मानदेय भुगतान किये बिना व्यय दिखलाया जाना अनियमित है। राशि को उत्तरदायी व्यक्ति से वसूलकर कोषागार में जमा करा दी जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को भी दी जाय।

- 13) रू० 6,05,000.00 बिहार राज्य बैंक वार्ड रिजन ग्रांट फन्ड योजना हेतु दिया गया अग्रिम समायोजन हेतु लम्बित :-

जाँच में पाया गया कि शीर्ष बिहार राज्य बैंक वार्ड रिजन ग्रांट फन्ड योजना मद में योजना सं० 1/9-10 प्रखण्ड परिसर पताही में पी० सी० सी० पथ का निर्माण एवं योजना सं० 2/9-10 द्वारा भी प्रखण्ड परिसर पताही में पथ निर्माण कार्य का योजना तैयार की गयी। योजना सं० 1/09-10 के लिए प्राकूलित राशि 4,88,000.00 एवं योजना सं० 2/09-10 के लिए प्राकूलित राशि 1,54,000.00 थी, दोनों योजना के अभिकर्ता एक ही व्यक्ति रईस अजम, जनसेवक को बनाम गया। दोनों योजना का कुल प्राकूलित राशि 6,42,000.00 (488000.00+154000.00) रूपया में से अभिकर्ता श्री आजम की विभिन्न तिथियों में रूपया 605000.00 की अग्रिम राशि दी गयी। केश अभिलेख में सिर्फ विभिन्न तिथियों में दी गयी अग्रिम राशि का ही उल्लेख पाया गया। अभिलेख अवलोकन से इस बात का पता नहीं चल सका कि योजना पूर्ण किया गया या अपूर्ण रह गया क्योंकि कार्य एवं ली गयी अग्रिम राशि से सम्बन्धित लेखा, अभिश्रव मापी पुस्त

अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः ली गई अग्रिम राशि एवं कार्य की प्रगति से सम्बन्धित लेखा, अभिलेख वाली पुस्त प्राप्त कर एवं सक्षम पदाधिकारी से उसकी जाँच कर योजना को पूर्ण कराने हेतु सुनिश्चित कर ली गयी अग्रिम राशि 605000.00 का समायोजन किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अं०) विभाग को दिया जाय।

अग्रिम राशि की विवरणी निम्न प्रकार है —

ना सं० 1/9-10	21.7.09- 25000.00	योजना सं० 2/9-10-21.7.09	25000.00
	12.8.09- 200000.00	योजना सं० 2/9-10-12.8.09	50000.00
	29.8.09- 175000.00	29.8.09	50000.00
	9.10.09- 60000.00	9.10.09	20000.00
	4,60,000.00		1,45,000.00

- 14) ₹ 3,15,000.00 बिहार राज्य बैंक वार्ड रिजन ग्रान्ट फन्ड योजना हेतु दिया गया अग्रिम समायोजन हेतु लम्बित —

जाँच में पाया गया कि योजना सं०-3/2009-10 शीर्ष बिहार राज्य बैंक वार्ड रिजन ग्रान्ट फन्ड के अन्तर्गत नव निर्मित छः शय्या वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बखरी के शेष निर्माण कार्य कराना था, जिसके लिए श्री रईस जनसेवक को अभिकर्ता नियुक्त किया गया। प्राकलित राशि 3,84,000.00 में से श्री आजम को विभिन्न तिथियों अग्रिम के रूप में कुल राशि 3,15,000.00 योजना कार्यान्वयन हेतु दिया गया। लेकिन योजना अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अंकेक्षण समाप्ति तिथि तक योजना पूर्ण नहीं की जा सकी एवं मापी पुस्त के अनुसार मात्र ₹ 3,10,089.00 का कार्य किया पाया गया। इस सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः सम्बन्धित योजना को पूर्ण कराकर दिये गये अग्रिम का समायोजन किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दिया जाय।

अग्रिम राशि की विवरणी निम्न प्रकार है —

दिनांक —	7.8.09	—	5,0000.00
	2.9.09	-	20,000.00

15.9.09 — 1,00,000.00

3.10.09 — 1,00,000.00

4.1.10 — 45,000.00

3,15,000.00

मापी पुस्त द्वारा किया गया कार्य - 3,10,089.00

शेष राशि -- 4911.00

- 5) रू0 8213.00 का खरीद की गई सामानों की भण्डार प्रविष्टि नहीं पाया जाना व्यय आपत्ति अन्तर्गत :-

आकस्मिक व्यय पंजी की जाँच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा लेखन सामग्री एवं अन्य सामान की खरीदगी की गयी, लेकिन भण्डार पुस्त में प्रविष्टि नहीं की गयी। भण्डार पुस्त में प्रविष्टि नहीं रहने के कारण सामानों की खरीदगी की औचित्यता स्पष्ट नहीं हो सका। बिहार वितीय नियमावली भाग-1 के नियम 132 तथा खण्ड-I के परिशिष्ट 3 (3) के अनुसार सामान खरीदगी के पश्चात् भण्डार पुस्त में प्रविष्टि आवश्यक है। तत् पश्चात् उसे वितरण किस मद व व्यक्ति को किया गया लिखित होना चाहिए। जब भण्डार पुस्त में प्रविष्टि नहीं की गई तो सामानों के क्रय की औचित्यता, वितरण व उपयोगिता स्पष्ट नहीं हो सका। इसके सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः रू0 8213.00 की लेखा सामग्री व अन्य सामानों की खरीदगी का भण्डार पुस्त में प्रविष्टि एवं वितरण की जाँच सक्षम पदाधिकारी से कराकर वस्तु स्थिति से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को सूचित किया जाय तबतक रू0 8213.00 की खरीदगी में हुए व्यय को आपत्ति निर्गत रखा जाता है।

खरीदी गयी सामानों की सूची परिशिष्ट "छ" पर अंकित है।

- 16) निर्गत चेकों का पावती रसीद प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण रू0 3920.00 का व्यय आपत्ति अन्तर्गत -

जाँच में पाया गया कि पंचायत समिति पताही के प्रमुख/उप प्रमुख/पंचायत समिति सदस्य को भत्ता हेतु चेक निर्गत किया गया था, परन्तु निर्गत चेक पावती की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित पंचायत सदस्य द्वारा चेक नहीं पाया गया, लेकिन

विभिन्न तिथि को राशि सहायक रोकड़ पुस्त शीर्ष 2515 (क) के व्यय पक्ष में प्रविष्टी कर दी गयी। इसके सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया। अतः निर्गत चेक की पावती रसीद प्राप्त कर एवं निर्गत चेक के विरुद्ध बैंक से निकासी की जाँच कर वस्तु स्थिति से वित्त (अं०) विभाग को अवगत कराया जाय, तबतक कुल राशि 3,920.00 आपत्तिन्तर्गत रखा जाता है।

निर्गत चेक में निहित राशि की विवरणी निम्न प्रकार है -

क्र०	सूची क्र०	पं०सं०स० का नाम	चेक सं० / तिथि	रोकड़ पुस्त में प्रविष्टी तिथि	राशि	अभ्युक्ति
1.	17	सरिता देवी	<u>521514</u> 13.8.10	16.8.10	160.00	
2.	18	हेना प्रवीण	<u>521515</u> 13.8.10	16.8.10	300.00	
3.	21	रीता देवी	<u>521518</u> 13.8.10	16.8.10	520.00	
4.	4	फुल महम्मद	<u>520757</u> 21.1.10	21.1.10	1000.00	
5.	8	पुष्पा देवी	<u>520761</u> 21.1.10	21.1.10	520.00	
6.	15	रीता देवी (गोनाही)	<u>520768</u> 21.1.10	21.1.10	840.00	
7.	7	सरिता देवी	<u>520770</u> 21.1.10	21.1.10	320.00	
8.	21	रीता देवी	<u>520774</u> 21.1.10	21.1.10	260.00	
					3920.00	

(तीन हजार नौ सौ बीस रुपये मात्र)

भाग - 3

17) रू0 7,33,882.00 सूद की राशि रोकड़ पुस्त एवं सामान्य रोकड़ पुस्त में प्रविष्टि करने का सुझाव :-

जॉच में बैंक खातों में जमा सूद की राशि 7,33,882.00 को स0 रो0 पुस्त में प्रविष्टि नहीं किया पाया गया। नियमानुसार सूद की राशि को स0 रो0 पुस्त में प्रविष्टि कर तत्पश्चात जिला कोषागार में जमा या संबंधित विभाग को वापस कर देनी है। स0 रो0 पु0 में प्रविष्टि नहीं रहने के कारण 31.3.11 के सामान्य रो0 पुस्त में संवरण शेष की राशि 8,37,21,472.25 में रू0 7,33,882.00 की कमी होगी। सूद की राशि बैंक खाता में जमा रहने से उसे निकासी कर कार्यालय द्वारा उपयोग में लाने की आशंका बनी रहती है जबकि सूद की राशि को कार्यालय द्वारा किसी मद में खर्च नहीं करती है। अतः सूद की राशि 7,33,882.00 को सहायक रोकड़ पुस्त में प्रविष्टि कर सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष को नियमित किया जाय, ताकि गबन की सम्भावना न हो एवं वस्तु स्थिति से वित्त (अं0) विभाग को अवगत कराया जाय। पूर्ण विवरण निम्नवत् है।

विभिन्न खातों में सूद की राशि का विवरणी तिथिवार निम्न प्रकार है -

क्र0 सं0	बैंक का नाम/खाता सं0	सूद राशि की तिथि	सूद की राशि	कुल योग
1.	बिहार ग्रामीण बैंक, पताही / 4302	31.3.08	100000.00	
		2.9.09	10639.00	
		25.3.10	10011.00	
		21.9.10	269636.00	
		7.12.10	24000.00	414286.00
			414286.00	
2.	" / 4303	21.1.2001	800.00	
		9.7.2001	995.00	
		15.1.2002	2000.00	
		9.7.2002	1050.00	
		31.3.2008	81.00	
		25.7.2010	82.00	
			5008.00	5008.00

3.	.. / 4257	21.7.2000	6563.00	
		20.1.2001	4162.00	
		9.7.2001	718.00	
		15.1.2002	1330.00	
		9.7.2002	270.00	
		18.3.2006	4115.00	
		23.7.2006	<u>5617.00</u>	
			22775.00	22775.00
4.	उ० वि० ग्रा० बैंक बखरी / 3070	5.7.2004	2535.00	
		5.1.2005	2580.00	
		23.6.2009	29688.00	
		27.1.2010	59377.00	
		3.2.2010	<u>24600.00</u>	
			118780.00	1,18,780.00
5.	सहकारिता बैंक, पकड़ीदयाल / 1048	31.3.99	6714.00	
		31.3.2000	37300.00	
		31.3.2001	20200.00	
		31.3.2002	36000.00	
		31.3.2003	25613.00	
		31.3.2004	24600.00	
		31.3.2005	3300.00	
		31.3.2006	<u>15140.00</u>	
			168867.00	168867.00
6.	भारतीय स्टेट बैंक, बोकानेकला / खाता सं०-31064585053	30.6.2010	1791.00	
		31.12.2010	<u>2375.00</u>	
			4166.00	4166.00
				7,33,882.00

(सात लाख तेतीस हजार आठ सौ बेरासी रूपयें मात्र)

- 18) सामान्य अभ्युक्ति या सामान्य रोकड़ पुस्त की जाँच में पाया गया कि सामान्य रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का माह के अन्त में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं किया गया जो बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम-86 के प्रतिकूल है।

अतः अंकेक्षण द्वारा सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक महीने के अंत में सा० रोकड़ पुस्त के संवरण शेष का भौतिक सत्यापन कर तथ्यों को उल्लेख किया जाय।

- i) अंकेक्षण क्रम में पाया गया कि रोकड़ पुस्त में अंकेक्षण को कईबार काट कुट कर लिखा गया। यहाँ तक एक से चार बार तक ही अंक को काट-कूट कर लिखा गया। लेकिन काट-कूट कर पदाधिकारी द्वारा अभिहस्तकरित नहीं पाया गया। बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 86 अनुसार प्रत्येक काट-कूट पर पदाधिकारी का अभिहस्ताक्षरित होना चाहिए।

अतः अंकेक्षण की ओर से सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में अंकों की काटने की आवश्यकता हो तो काट-कूट पर पदाधिकारी अपना अभिहस्ताक्षर अवश्य करें।

- 9) अनावश्यक सा० रो० पुस्तों एवं बैंक खातों को बन्द करने एवं वर्षों से अव्यवहृत राशि 54,93,050.14 को शीघ्र कोषागार में जमा करने का सुझाव -

अंकेक्षण में पाया गया कि अनेक सहायक रोकड़ पुस्तों में वर्षों से कोई समव्यवहार (Transaction) नहीं किया गया था, और वर्तमान में अनेक सा० रो० पुस्तों का प्रखण्ड लेखा में कोई आवश्यकता भी नहीं है। एक ही शीर्ष या मद के लिए एक से अधिक सा० रो० पुस्तों का संधारण पाया गया उदाहरणार्थ 2401 कृषि के लिए तीन सहायक रोकड़ पुस्तों का संधारण (वेतन के लिए-1 फलसल क्षति के लिए-1 मिनी कीट के लिए-1) किया गया था। अनावश्यक अत्यधिक बैंक खातों तथा अत्यधिक सहायक रो० पुस्तों से इस कार्यालय के लेखा संधारण एवं उसके जाँच में व्यवहारिक रूप से कठिनाई उत्पन्न होगी कुल संधारित 23 बैंक खातों में अधिसंख्य में वर्षों से कोई समव्यवहार नहीं हुआ था, और निरर्थक रूप से उसमें सार्वजनिक धन पड़ा हुआ पाया गया इसके सम्बन्ध में निर्गत आपत्ति का अनुपालन नहीं किया गया।

अतः अनावश्यक सा० रो० पुस्तों एवं बैंक खातों को बन्द कर उसमें जमा 54,93,050.14 राशि को शीघ्र कोषागार में जमा या संबंधित विभाग को वापस किया जाय एवं इसकी सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग को दी जाय।

वर्ष 2009-10 के पूर्व शेष अव्यवहृत राशि का विवरण निम्न प्रकार है —

क्र० सं०	सहायक रोकड़ पुस्त का नाम	शेष अव्यवहृत राशि	अभ्युक्ति
1.	इन्दिरा आवास विशेष	6,12,000.00	
2.	" " उन्नयन	28,62,492.00	
3.	सा० सु० पेंशन (राज्य)	19,830.16	
4.	सा० सु० पेंशन (केन्द्र)	7,88,813.00	
5.	शीर्ष 2225 वेतन (कल्याण)	880.00	
6.	वि० ग्रा० वि० ग्रा० योजना	23,722.00	
7.	प्र० मं० ग्रा० रो० योजना (उन्नयन)	20,000.00	
8.	" " " " नव निर्माण	16,500.00	
9.	" " " " सड़क स्वच्छता	12,554.00	
10.	संसद योजना	65,869.00	
11.	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ	600.00	
12.	2702 लघु सिंचाई	60,331.32	
13.	उन्नत चूल्हा	17,620.96	
14.	15% जवाहर योजना	76,322.00	
15.	2230 श्रम	16,274.00	
16.	बुनियादी इन्दिरा आवास	3,550.00	
17.	राष्ट्रीय पोषाहार	15,15,714.45	
18.	सामाजिक वाणिकी	15,41,53.00	
19.	एस० एफ० सी०	17,000.00	
20.	राष्ट्रीय साक्षरता	17,710.00	
21.	डिजल अनुदान	46,30,000.00	
22.	अन्य प्रशासन सेवा	5,403.75	
23.	0401 कृषिभिन्नी फीट	12,263.50	
24.	खाली वारे की किमत	14,590.00	
		54,93,050.14	

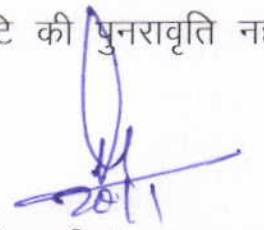
- (20) सामान्य रोकड़ पुस्त सहायक रोकड़ पुस्त एवं अन्य से अभिलेख अद्यतन संधारण करने का सुझाव -

अंकेंक्षण प्रारम्भण तिथि को पाया गया कि स० र० पु० एवं सामान्य रोकड़ पुस्त दिनांक-31.3.2011 तक ही संधारित थी। सरकारी कार्यालय में प्रत्येक दिन रोकड़ पुस्त का लेखांकन नहीं किया जाना अत्यन्त ही गम्भीर एवं चिन्तनीय है। इस प्रकार वित्तीय नियमों की अवहेलना से गवन/दुर्विनियोग की सम्भावना बढ़ जाती है।

बिहार कोषागार संहिता भाग-1 नियम 86 के अनुसार प्रत्येक दिन लेखा बहियों में दैनिक समव्यवहार का लेखांकन तथा माह में कम से कम एक बार संवरण शेष का भौतिक सत्यापन किये जाने हेतु कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

- (21) रोकड़ पुस्त में निकासी व्ययन पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं किया जाना -

जॉच में पाया गया कि दिनांक 26.4.10 से 21.2.2011 तक के सहायक रोकड़ पुस्त एवं सामान्य रोकड़ की गई प्रविष्टियों का सत्यापित कर निकासी व्ययन पदाधिकारी द्वारा सत्यापित कर हस्ताक्षर/प्राक्षर नहीं किया गया था। जो वित्तीय नियमों का उल्लंघन है। अतः उक्त सामान्य रोकड़ पंजी सम्बन्धित कागजातों के आधार पर निकासी एवं व्ययन पदा० द्वारा सत्यापित करा ली जाय तथा भविष्य में इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ताकि उक्त त्रुटि की पुनरावृत्ति नहीं होने पाये।



उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेंक्षण) विभाग
बिहार, पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्ता का नाम एवं पदनाम

1. मो० ओबैदुल्लाह जावेद, व०अ०-2

परिशिष्ट - "क"

कडिका (1) ट से सम्बन्धित।

प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

- (1) सामान्य रोकड़ पुस्त वर्ष 2009-10 एवं 2010-11
- (2) विपत्र पंजी - " " "
- (3) नाजिर रसीद - (i) 040701 से 040747
(ii) 500501 से 501500
(iii) 506751 से 507250
(iv) 494151 से 494198
- (4) सहायक रोकड़ पुस्त शीर्ष 2515 (क) वर्ष--2009-10 एवं 2010-11
- (5) " " " " 2515 (ख) " "
- (6) " " " " 2505 (ग) " "
- (7) आपके सरकार आपके द्वारा स० रो० पु० " "
- (8) इन्दिरा आवास सामान्य " " "
- (9) डी० आर० डी० ए० " " "
- (10) शीर्ष 2015 निर्वाचन " " "
- (11) शीर्ष 289 सहाय्य " " "
- (12) " महादलित " " "
- (13) " तेरहवी वित्त आयोग " " "
- (14) " बारहवी ग्यारहवी दशवी " " "
- (15) " कबीर अन्त्येष्टी योजना " " "

6)	वी० आर० जी० एम०	..	..	..
	(बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग)	..		
7)	ग्राम कचहरी	..	..	..
8)	रॉयल्टी	..	..	..
9)	2235 (op) वेतन	..	..	..
10)	2401 कृषि (फसलक्षति)	..	..	..
11)	डिजल अनुदान	..	..	..
12)	शीर्ष कालाजार इन्दिरा आवास सहायक रो० पु० वर्ष 2009-10 एवं 2010-11			
13)	सूद	..	..	..
14)	2225 कल्याण छात्रवृत्ति	..	..	..
15)	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	..	..	..
16)	विशेष इन्दिरा आवास योजना	..	..	..
17)	पैक्स चुनाव	..	..	..
18)	2202 शिक्षा	..	..	..
19)	इन्दिरा आवास (उन्नयन)	..	..	..
20)	पंचायत निर्वाचन	..	..	..
21)	2401 कृषि (वेतन)	..	..	..
22)	वैट	..	..	..
23)	सामाजिक सुरक्षा पेंशन (राज्य)	..	..	..
24)	 केन्द्र	..	..	..
25)	2225 (कल्याण) वेतन	..	..	..

36)	वि० ग्रा० नि० ग्रा० यो०	..	..	..
37)	प्रधान मंत्री ग्रा० रोजगार/उन्नयन	..	..	..
38)	 (नव निर्माण)	..	..	..
39)	 सड़क स्वाच्छता	..	..	..
40)	संराह योजना	..	..	..
41)	राष्ट्रीय मातृत्व लाभ	..	..	..
42)	15% जवाहर रोजगार योजना	..	..	..
43)	2230 श्रम	..	..	..
44)	बुनियादी इन्दिरा आवास योजना	..	..	..
45)	2702 लघु सिंचाई	..	..	..
46)	शीर्ष उन्नत चूल्हा	स० रो० पु० वर्ष 2009-10 एवं 2010-11		
47)	राष्ट्रीय पोषाहार	..	..	..
48)	सामाजिक वानिकी	..	..	..
49)	एस० एम० सी०	..	..	..
50)	राष्ट्रीय साक्षरता	..	..	..
51)	जनगणना	..	..	..
52)	अन्य प्रशा० सेवा	..	..	..
53)	2401 कृषि कार्य मिनीकीट	..	..	..
54)	खाली बोरे की किमत	..	..	..
55)	एस० जी० आर० वाई	..	..	..
56)	2053	..	..	..

67)	एस0 जी0 एस0 वाई	..	..	..
68)	2515 (क) वेतन भुगतान पंजी	..	..	..
69)	2515 (ख)	..	..	..
70)	2515 (ग)	..	..	..
71)	2401 कृषि	..	..	..
72)	2235 (op)	..	..	..
73)	अंकित अभिश्रव पंजी (unposted vou)	..	..	..

(Vr . No 1 to 6395)

74)	अग्रिम पंजी	—	..	..
75)	चेक पंजी	..	..	..
76)	पैक्स चुनाव अभिलेख एवं अभिश्रव	..	..	..
77)	मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना अभिलेख एवं अभिश्रव	..	..	..
78)	आकस्मिक पंजी	..	..	..
79)	लेखन सामग्री एवं अन्य सामानों की भण्डार पंजी	..	..	..
80)	इन्दिरा आवास योजना अभिलेख एवं अभिश्रव	..	..	..
81)	ग्राम कचहरी पंच सरपंच के भत्ता मानेदय भुगतान सम्बन्धि अभिश्रव	..	..	..
82)	प्रमुख मुखिया उप मुखिया व उप प्रमुख का मानेदय व भत्ता भुगतान सम्बन्धित अभिश्रव वर्ष — 2009-10 एवं 2010-11	..	..	..
83)	जनगणना, पशुगणना प्रगणक मानदेय भुगतान सम्बन्धि अभिश्रव एवं पंजी	..	..	..
84)	शीर्ष 289 फसल क्षतिपूर्ति अनुदान भुगतान सम्बन्धित अभिश्रव एवं पंजी	..	..	..

- 75) शीर्ष D.R.D.A स्वर्ण जयंती ग्राम सरोगणर योजना के तहत बी0 ओ0 पी0 प्रशिक्षण में खर्च से सम्बन्धित अभिश्रव
- 76) शीर्ष महादलित पोशाक वितरण सम्बन्धित अभिश्रव एवं पंजी
- 77) बैंक से सम्बन्धित पासबुक
- 78) डिजल अनुदान सम्बन्धित अभिलेख पंजी एवं अभिश्रव
- 79) द्वादश वित्त आयोग योजना सम्बन्धित अभिलेख एवं पंजी
- 80) तेरहवी वित्त आयोग योजना सम्बन्धित अभिलेख एवं पंजी
- 81) बिहार राज्य पिछड़ वर्ग (B.R.G.F) योजना सम्बन्धित अभिलेख
अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची --
- 1) सेवा पुस्त
- 2) क्वार्टर आवंटन सम्बन्धित संचिका
- 3) यात्रा भत्ता विपत्र की कार्यालय प्रति

परिशिष्ट - "ख"

कडिका (3) से सम्बन्धित आवंटन व्यय विवरणी

शीर्ष 2515 (क) का वर्ष 2009-10 का आवंटन व्यय विवरणी।

मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	वचत राशि	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यार्पित राशि का पत्रांक दिनांक	अभ्युक्ति
वेतन	9,08,495. 00	421991.00	486504.00	486504.00	अप्राप्त	
चिकित्सा भत्ता	6794.00	5238.00	1556.00	1556.00	"	
मकान भाड़ा भत्ता	41526.00	19953.00	21573.00	21573.00	"	
महंगाई भत्ता	154136.00	143487.00	10649.00	10649.00	"	

शीर्ष 2515 (क) का वर्ष -2010-11 का आवंटन व्यय विवरणी।

मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	वचत राशि	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यार्पित राशि का पत्रांक दिनांक	अभ्युक्ति
वेतन	1200576. 00	955729.00	244847.00	244847.00	अप्राप्त	
चिकित्सा भत्ता	10200.00	7550.00	2650.00	2650.00	"	
मकान भाड़ा भत्ता	96255.00	47804.00	47804.00	48451.00	"	
महंगाई भत्ता	3,88,562. 00	317095.00	71467.00	71467.00	"	

शीर्ष 2515 (ख) का वर्ष 2009-10 का आवंटन व्यय विवरणी।

मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत राशि	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यार्पित राशि का पत्रांक दिनांक अप्राप्त	अभ्युक्ति
वेतनावर्दी धुलाई	2185000	2899011				
मकान भाड़ा भत्ता	277000	134056			"	
महगाई भत्ता	1314000	714918	27501	27501	"	
चिकि०भत्ता	19000	19514			"	
यात्रा भत्ता	27000	26150	850	850	"	
आकस्मिकता	74000	73995	05	05	"	
वाहन का रख-रखाव	373000	37259	41	41	"	
दूरभाष वर्दी	13000 900	2736 --	10264 --	10264 900	" "	
मोटर गाड़ी	100000	74507	25493	25493	"	

शीर्ष 2515 (ख) वर्ष -2010-11 का आवंटन व्यय विवरणी।

मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत राशि	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यार्पित राशि का पत्रांक दिनांक	अभ्युक्ति
वेतन	1894000	1875837				
मकान किराया भत्ता	160000	95775				

चिकित्सा भत्ता	29000	13042	45791	45791	अप्राप्त	
अन्य भत्ता	1000	1163				
महंगाई भत्ता	740000	792392				
यात्रा भत्ता	10000	2000	8000	8000	"	
कार्यालय व्यय	50000	10000	40000	40000	"	
वाहन रख रखाव एवं ईंधन	50000	9730	40270	40270	"	
दूरभाष	8000			8000	"	
विद्युत	5000			5000	"	
वर्दी	2000			2000	"	

शीर्ष 2505 (ग) वर्ष-2009-10 का आवंटन व्यय विवरणी।

मद	प्राप्ता आवंटन	व्यय	बचत राशि	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यार्पित राशि का पत्रांक दिनांक	अभ्युक्ति
वेतन	280000	182068	82754	82754	अप्राप्त	
महंगाई भत्ता	100000	115178				
आकस्मिकता	2500	2500				
यात्रा भत्ता	2000	1750	250	250	"	

शीर्ष 2505 (ग) वर्ष-2010-11 का आवंटन व्यय विवरणी।

मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत राशि	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यार्पित राशि का पत्रांक दिनांक	अभ्युक्ति
वेतन	280000	357100				
अन्य भत्ता	12000	2400	748	748	अप्राप्त	
महंगाई भत्ता	120000	51752				

शीर्ष -2235 वर्ष 2009-10 का आवंटन व्यय विवरणी।

मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत राशि	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यार्पित राशि का पत्रांक दिनांक	अभ्युक्ति
वेतन	137248	131404	5844	5844	अप्राप्त	
चि० भत्ता	1500	1300	200	200	"	
मकान किराया भत्ता	4380	974	3406	3406	"	
महंगाई भत्ता	54535	42266	12269	12269	"	

शीर्ष 2235 वर्ष-2010-11 का आवंटन व्यय विवरणी

मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत राशि	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यार्पित राशि का पत्रांक दिनांक	अभ्युक्ति
वेतन	122640	122785			अप्राप्त	
चिकि० भत्ता	2400	1022	1233	1233		
मकान किराया भत्ता	6132		--	6132	अप्राप्त	
म० भत्ता	55188	51715	3475	3473	अप्राप्त	

शीर्ष 2401 कृषि वर्ष 2009-10 का आवंटन व्यय विवरणी।

मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत राशि	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यार्पित राशि का पत्रांक दिनांक	अभ्युक्ति
वेतन	956550	973207			अप्राप्त	
किराया	43300	34917				
मकान भत्ता						
चि० भत्ता	8300	7348	2302	2302	अप्राप्त	
जीवन यापन भत्ता	284500	277376				
आकस्मिकता	400	400	शून्य	—		
वर्दी	4500	4275	225	225	अप्राप्त	
यात्रा भत्ता	1000	920	80	80	"	
डिजल अनुदान	7668180		—	—		

शीर्ष 2401 कृषि वर्ष-2010-11 का आवंटन व्यय विवरणी

मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत राशि	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यार्पित राशि का पत्रांक दिनांक	अभ्युक्ति
वेतन	263000	258400	4600	4600	अप्राप्त	
चि० भत्ता	4000	2000	2000	2000	"	
मकान किराया भत्ता	10500	10016	484	484	"	
महंगाई भत्ता	92000	69676	22324	22324	"	
डिजल अनुदान	3556750	—	—	—	—	
मक्का अनुदान	885442	—	—	—	—	

शीर्ष 2015 निर्वाचन वर्ष-2009-10 का आवंटन व्यय विवरणी

मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत राशि	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यार्पित राशि का पत्रांक दिनांक	अभ्युक्ति
बी० एल० ओ० को मानेदय भुगतान	126000	126000	शून्य	—	—	

शीर्ष 2015 निर्वाचन वर्ष – 2010-11 का आवंटन व्यय विवरणी।

मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत राशि	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यार्पित राशि का पत्रांक दिनांक	अभ्युक्ति
कार्यालय व्यय	278060	278060	—	—		
बी० एल० ओ० का मानेदय	252000	252000	—	—		

शीर्ष पैक्स चुनाव वर्ष-2009-10 का आवंटन व्यय विवरणी।

मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत राशि	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यार्पित राशि का पत्रांक दिनांक	अभ्युक्ति
आकस्मिकता	9300	9300	शून्य	—	—	

शीर्ष कबीर अन्लेष्टी वर्ष 2010-11 का आवंटन व्यय विवरणी।

मद	प्राप्त आवंटन	व्यय	बचत राशि	प्रत्यार्पित राशि	प्रत्यार्पित राशि का पत्रांक दिनांक	अभ्युक्ति
कबीर अन्लेष्टी	112500.00	112500.00	—	—		

परिशिष्ट — "ग"

10 विकास कार्यालय पताही पूर्वी चम्पारण असमायोजित अग्रिम राशि 1320480 कंडिका (5) से सम्बन्धित विवरणी।

दिनांक— 31.03.2011 तक

क्र०	दिनांक पृष्ठ/पंजी सं०	अग्रिम प्राप्त करने वाले का नाम	राशि
	20.2.90	श्री मिथिलेश त्रिदेवी	6400.00
	07 / V		
	17.07.90	श्री राजनारायण चौधरी	1100.00
	07 / V	(चम्पा जिला खादी ग्रा०)	
	24.07.90	श्री अ० स० अंसारी	17900.00
	19 / V	(प्र० कृ० पदा०)	
	19.09.90	श्री अमरेन्द्र कुमार	4629.00
	23 / V		
	22.12.90	श्री जगनाथ राम	150.00
	24 / ए		
	18.2.91	श्री मणिन्द्र कुमार	200.00
	27 / ए		
	04.01.91	श्री रविन्द्र सिंह	200.00
	31 / ए		
	17.02.92	.. अब्दूल कलाम	10000.00 (छात्रवृत्ति)
	37 / V		
	24.02.92	.. मुरारी सिंह	350.00
	37 / ए		
10.	05.03.92	.. फुलेना महतो	300.00
	38 / ए		
11.	26.08.94	.. जगनाथ वैठा	361.00
	04 / ए		

2.	31.07.96 12/ए	.. शत्रुघन पंडित	2,300.00
3.	30.09.96 121 VI	.. मो० फयूमुदिन, अंसारी	2,000.00
4.	DO	.. मु० खैरुद्दीन अंसारी	3,000.00
5.	08.11.96 131 DO	.. मु० खैरुद्दीन अंसारी (फखरुद्दीन अंसारी)	1200.00
6.	DO	.. मु० क्यूमुरिन अंसारी	700.00
7.	13.07.97 14/ VI	.. राजनाथ चौधरी (खादी ग्रामो)	4,000.00
8.	25.10.97 15/ VI	.. महिला कल्याण सेवा आश्रम	1,500.00
9.	02.12.97 16/ VI	.. Do	5,000.00
10.	24.07.98 20/ VI	.. केदार प्रसाद गुप्ता	10,000.00
11.	10.04.99 "	.. केदार प्रसाद गुप्ता	10,000.00
12.	18.11.2000 24/ VI	.. सुबोध कुमार (विडियो ग्राफी)	1,500.00
13.	29.12.2000 DO	.. DO	1,000.00
14.	14.02.01 25/ VI	.. लक्ष्मण दास	6272.00
15.	27.03.01 25/ VI	.. श्रीमति सीमा देवी (परिवारिक लाभ)	11,000.00
16.	27.03.01 25/ VI	.. श्री मनोहर प्रसाद (विडियो ग्राफी)	5,000.00

7.	DO	.. वसंत कुमार	100.00
8.	11.04.01	.. अचलाधिकारी	10,000.00
	26 / VI	(पताही)	
9.	14.04.01	.. श्याम पासवान	1,000.00
	DO		
10.	31.05.01	.. DO चापाकल मरम्मती	500.00
	DO		
11.	14.04.01	.. मनोहर प्रसाद (विडियोग्राफी)	1,000.00
	DO		
12.	18.05.01	.. मनोहर प्रसाद (विडियोग्राफी)	3,000.00
	DO		
13.	09.06.01	.. गौड़ी शंकर प्रसाद	500.00
	DO		
14.	10.07.01	.. सुरेश प्र० सिंह (पं० से०)	600.00
	27 / DO		
15.	11.07.01	.. मंजुर अली	10,000.00
	27 / DO		
16.	12.7.01	.. अब्दूल मल्लीक	7,200.00
	DO		
17.	DO	.. जीमल अख्तर	2,800.00
18.	23.07.01	.. मनोहर प्रसाद (विडियो ग्राफी)	10,000.00
	28 / VI		
19.	DO	.. राजकिशोर सिंह	20,000.00
		(विडियोग्राफी)	
20.	12.07.01	.. मोहन सिंह (पं० रो०)	1,000.00
	27 / VI		
21.	07.01.02	.. प्रखण्ड शिक्षा प्रसाद पदा०	55,000.00
	32 / VI	(पताही)	

2.	09.04.02 34 / VI	.. सफीक अहमद	1400.00
3.	DO	.. बच्चा कुमार (कर्मचारी)	17,900.00
4.	11.04.02 35 / VI	.. सत्येन्द्र कुमार सिंह	2,600.00
5.	10.06.02 37 / VI	.. शिवजी प्रसाद (पेंतर)	15,000.00
6.	..	.. अनील कुमार सिंह (टैक्टर भाड़ा)	4,000.00
7.	07.06.03 43 / VI	.. कुरारी शाही (प्र० गि० प्र० पदा०)	1,00,000.00
8.	18.06.03 DO	.. श्रीमति सीमा देवी (मृत्यु अनादान)	500.00
9.	18.10.03 44 / VI	.. फूदेना महतो (जीप चालक)	500.00
10.	13.11.03 DO	.. रवि कुमार भार्गव (एन० जी० ओ०)	20,000.00
11.	12.01.04 DO	.. जयमंगल ओझा (पर्यावेक्षक)	1,000.00
12.	DO	.. मणिभूषण प्रसाद (पं०जन से०)	1,000.00
13.	14.02.04 45 / VI	.. रामाधार पाण्डेय (पदचर)	350.00
14.	18.03.04 DO	.. जयमंगल ओझा	1,000.00
15.	07.04.04 DO	.. रामाधार पाण्डेय	100.00
16.	29.07.04 DO	.. मुरारी प्र० सिंह (पदचर)	1500.00

7.	29.07.04 45 / VI	श्री पशुपति नाथ वर्मा	1,000.00
8.	11.08.04 46 / VI	.. फूदेना महतो चालक (टायर क्रय हेतु)	5,000.00
9.	30.09.04 DO	.. DO ..	500.00
10.	04.10.04 ..	.. त्रिभुवन नाथ सिंह (सम्पूर्ण साक्षरता)	2,000.00
11.	07.10.04 DO	मु0 कामीनी सिन्हा (पारिवारिक लाभ स्वीकृति की प्रत्यासा में)	10,000.00
12.	12.10.04 46 / VI	श्री फूदेना महतो (चालक)	1,000.00
13.	04.12.04 DO	DO	600.00
14.	16.02.05 DO	.. शंकर साह (C.R.P.F कैम्प)	22,000.00
15.	24.03.05 47 / VI	.. अशोक कुमार मिश्र (पं0 सं0)	4,800.00
16.	..	.. वृजविहारी मिश्र	1,000.00
17.	29.03.05 DO	.. रवि कुमार भार्गव (एन0जी0ओ0)	10,000.00
18.	21.04.05 DO	.. शंकर साह	4,470.00
19.	04.05.05 DO	.. जय मंगल ओझा	27,800.00

10.	11.05.05 48 / VI	.. अंचलाधिकारी (पताही) (बाढ़ सहाय)	81,290.00
11.	21.05.05 DO	.. वृजविहारी मिश्रा पं०से० (वृद्धा पेंशन)	19,000.00
12.	23.05.05 DO	.. राजकिशोर सिंह (विडियों ग्रा०)	8,000.00
13.	02.07.05 49 / VI	.. शंकर साह (C.R.P.F कैम्प)	15,000.00
14.	30.07.05 DO	.. DO	20,000.00
15.	01.09.05 DO	.. DO	10,000.00
16.	13.09.05 DO	.. DO	7,500.00
17.	03.10.05 DO	.. DO	10,000.00
18.	25.10.05 DO	.. राजेश फिलिंग सेंटर	10,000.00
19.	29.10.05 DO	.. फूदेना महतो चालक	2,000.00
20.	06.11.05 50 / VI	.. शंकर साह (C.R.P.F कैम्प)	10,000.00
21.	10.11.05 DO	.. फूदेना महतो (चालक)	15,000.00
22.	06.12.05 DO	.. शंकर साह (C.R.P.F कैम्प)	5,000.00
23.	23.12.05 50 / VI	मे० राजेश फिलींग सेन्टर	50,000.00

4.	03.01.06 DO	श्री शंकर साह (C.R.P.F कैम्प)	5,000.00
5.	06.03.06 DO	.. रामाधार पाण्डेय (पदचर)	400.00
6.	24.04.06 DO	.. गोविन्द सिंह (चालक)	4,000.00
7.	11.04.07 51 / VI	.. अशोक कुमार मिश्र (पं०से०)	10,200.00
8.	DO	.. वृज विहारी मिश्र	5,500.00
9.	DO	.. रइस आजम (जनसेवक)	3,900.00
10.	DO	.. अशोक कुमार मिश्र (पं०से०)	24,000.00
11.	..	.. रइस आजम (जनसेवक)	1,000.00
12.	02.08.06 52 / VI	.. अशोक कुमार मिश्र (पं०से०)	1,300.00
13.	DO	.. वृज विहारी मिश्र (पं०से०)	1,200.00
14.	..	.. रइस आजम (जन सेवक)	1,800.00
15.	..	.. अशोक कुमार मिश्र (पं०से०)	40,800.00
16.	..	.. रइस आजम जनसेवक	1800.00
17.	..	.. उमेश चन्द्र (पं०से०)	2,000.00
18.	52 / VI	.. संजय तिवारी (पेंटर) 14.06.08 — 5,000 03.07.08 — 3,000 15.07.08 — 1,000 16.07.08 — 3,000 26.07.08 — 1,000 14.28.08 — 5,000 22.08.08 — 6,000	24,000.00
19.	02.09.08 54 / VI	DO	3,000.00

00.	-	-	
01.	<u>24.09.08</u> DO	„ संजय तिवारी (पेंटर)	5,000.00
02.	<u>15.11.08</u> DO	„ रइस आजम (जन सेवक)	1,19,508.00
03.	<u>01.12.08</u> DO	„ संजय तिवारी (पेंटर)	2,000.00
04.	<u>13.12.08</u> 55 / VI	DO	8,000.00
05.	<u>19.02.09</u> DO	„ विनोद कुमार निराला (स्वयं सहायता समूह)	75,000.00
06.	<u>06.03.09</u> DO	DO	75,000.00
07.	<u>08.04.09</u> DO	„ राज किशो सिंह (विडियो ग्राफी)	2,000.00
08.	<u>18.04.09</u> DO	श्री शंकर साह (C.R.P.F कैम्प)	2,500.00
09.	<u>18.04.09</u> 56 / VI	„ शंकर साह DO	5,000.00
10.	„	„ शिव पूजन दास DO	2,500.00
11.	<u>22.04.09</u> DO	„ शिवशंकर तिवारी DO	1,500.00
12.	<u>23.04.09</u> DO	„ DO	1,000.00
13.	<u>08.07.09</u> 57 / DO	„ DO	2,500.00
14.	<u>09.10.09</u> DO	„ फूदेना महतो (चालक)	15,000.00

15.	04.11.09 57 / VI	श्री नित्यानंद ठाकुर (प्र० शि० प्र० पदा०)	10,000.00
16.	05.06.10 58 / VI	.. रघुनाथ राम (विकास मित्र)	500.00
17.	07.11.09 DO	.. नित्यानंद ठाकुर (प्र० शि० प्र० पदा०)	15,000.00
18.	20.12.10 68 / VII	.. श्री पी० के० रवि	5,000.00
19.	25.12.10 69 / VII	.. DO	5,000.00
20.	10.04.07 50 / VI	.. मुरारी सिंह (भंडारपाल)	60,000.00

कुल योग — 13,20,480.00

तेरह लाख बीस हजार चार सौ अस्सी रुपये मात्र।

खण्ड विकास कार्यालय पताही पूर्वी चम्पारण के विभिन्न बैंक खाता के अवशेषों की राशि 61,18,022.71 की विवरणी कड़िका (5) से सम्बन्धित विवरणी।

क्र.सं.	बैंक का नाम	खाता सं०	अवशेष राशि
	भारतीय स्टेट बैंक, पताही	11655250568	1,07,92,090.13
	..	11655239577	1,12,418.26
	..	01000050003	8,910.76
	..	11655226411	50,457.11
	..	31355911689	82,819.00
	भारतीय स्टेट बैंक वोकानेकला	11829219996	10,68,357.00
	..	11829218029	14,134.00
	..	31064585053	1,06,663.00
	..	31064518428	9,114.00
20.	सेन्ट्रल बैंक	358688574	3,11,77,714.00

1.	उ०वि०श्रे०ग्रा० बैंक जिहूली	3006	1,01,82,820.00
2.	परसौनी कपुर पैक्स बैंक	698	2,28,000.00
3.	सहकारिता बैंक पकड़ी दयाल	1048	(--) 1,67,451.00
4.	"	3337	71,373.00
5.	उ० वि० क्षे० ग्रा० बैंक वरूरी	3070	4,46,606.00
6.	"	3392	3152.45
7.	सेन्ट्रल बैंक देवापुर	3104357758	96,38,000.00
8.	उ०वि०क्षे०ग्रा० बैंक, पताही	3844	00
9.	"	4156	00
10.	"	4257	(-) 12,555.00
11.	"	4302	1,18,07,635.00
12.	"	4303	00
13.	"	4304	00
14.	"	4305	00
15.	"	4479	3,000.00
16.	"	4456	4,33,117.00
17.	"	6430	49,148.00
18.	"	6775	12,500.00

कुल — 7,61,18,022.71

सात करोड़ एकसठ लाख अठारह हजार बाईस रुपये एकहत्तर पैसे मात्र।

परिशिष्ट- "घ"

40 4,90,401.00 नाजिर रसीद से प्राप्त कर रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में अंकित नहीं कंडिका

6) से सम्बन्धित विवरणी -

नाजिर रसीद द्वारा राशि प्राप्ति तिथि	रसीद बही की vol सं०	रसीद सं०	प्राप्ति राशि	अभ्युक्ति
6.2.2011	I	500501 से 500550	20875	
"	II	500551 से 500600	21125	
"	III	500601 से 500650	23750	
27.2.2011	IV	500651 से 500700	15750	
6.2.2011	V	500701 से 500750	18775	
"	VI	500751 से 500800	17375	
7.2.2011	VII	500801 से 500850	17750	
6.2.2011	VIII	500851 से 500900	15125	
7.2.2011	IX	500901 से 500950	19750	
6.2.2011	X	500951 से 501000	18125	
7.2.2011	XI	501001 से 501050	18500	
6.2.2011 से 28. 2011	XII	501051 से 501100	14875	
7.2.2011 से 28. 2011	XIII	501101 से 501150	12875	
8.2.2011	XIV	501151 से 501200	10125	
"	X V	501201 से 501250	14125	
"	X VI	501251 से 501300	15625	
"	XVII	501301 से 501250	14875	
"	XVIII	501351 से 501400	14375	
"	XIX	501401 से 501450	15125	

3.2.11 से 3.11	XX	501451 से 501500	16626	
3.11	XXI	506751 से 506800	11250	
"	XXII	506801 से 506850	12500	
"	XXIII	506851 से 506900	13500	
3.11 से 3.3.11	XXIV	50690 से 506950	14750	
3.11	XXV	506151 से 507000	16250	
3.11 से 4.3.11	XXVI	507001 से 507050	14500	
3.11	XXVII	507051 से 507100	15500	
3.11 से 5.3.11	XXVIII	507101 से 507150	15625	
3.11	XXIX	507151 से 507200	11250	
3.11 से 7.3.11	XXX	507201 से 507250	13875	
3.11	अज्ञात	49415 से 494198	9875	

4,90,401

(चार लाख नम्बे हजार चार सौ एक रूपयें मात्र)

परिशिष्ट - (ड)

रु0 39,71,444 डिजल अनुदान की अवितरित राशि

कड़िका (8) से सम्बन्धित विवरणी।

क्र०	पंचायत का नाम	वर्ष	पंचायत को भुगतान की गयी राशि	वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में भुगतीत कुल राशि	पंचायत द्वारा खर्च से संबंधित	शेष राशि वसूली योग्य
1	पताही पूर्वी	09-10 10-11	511212 237050	748262	748262	शून्य
2	बेलाही राम	09-10 10-11	511212 237050	748262	748262	शून्य

1.	बेतौना	09-10	511212	748262	711566	36696
		10-11	237050			
2.	बलुआ	09-10	511212	748262	521675	226587
	जुल्फेकरबाद	10-11	237050			
3.	सरैया गोपाल	09-10	511212	748262	511212	237050
		10-11	237050			
4.	परसौनी कपूर	09-10	511212	748262	511212	237050
		10-11	237050			
5.	बारा शंकर	09-10	511212	748262	511212	237050
		10-11	237050			
6.	बेकाने करमा	09-10	511212	748762	511212	237550
		10-11	237550			
7.	नोनफरवा	09-10	511212	748262	196800	551462
		10-11	237050			
8.	पडुमकर	09-10	511212	748262	237225	511037
		10-11	237050			
9.	देवापुर	09-10	511212	748262	511212	237050
		10-11	237050			
10.	जिहुली	09-10	511212	748262	511212	237050
		10-11	237050			
11.	गोनाही	09-10	511212	748262	511212	237050
		10-11	237050			
12.	बरवरी	09-10	511212	748762	511212	237550
		10-11	237550			
13.	पताही पश्चिमी	09-10	511212	748262	—	748262
		10-11	237050			
				1,12,24,930	72,53,486	39,71,44

उनचालीस लाख एकहतर हजार चार सौ चौवालीस रूपयें मात्र

परिशिष्ट "च"

कंडिका ग से सम्बन्धित विवरणी

रू0 5187 सामाचार पत्र खरीदगी का प्रावधान के विरुद्ध भुगतान कुल रू0 5187.00

क्र.सं.	विपत्र सं०/वर्ष	अभिश्चव सं०	शीर्ष	भुगतान तिथि	राशि	अभ्युक्ति
10	120/09-10	6236	2515 (ख)	23.3.10	292.00	
11	"	6232	"	"	300.00	
12	"	6229	"	"	300.00	
13	112/9-10	6310	2505 (ग)	"	232.00	
14	"	6294	"	"	216.00	
15	"	6291	"	"	240.00	
16	"	6290	"	"	248.00	
17	127/9-10	6204	2515 (ख)	31.3.10	321.00	
18	"	6205	"	"	324.00	
19	"	6206	"	"	333.00	
20	"	6207	"	"	324.00	
21	"	6208	"	"	308.00	
22	"	6209	"	"	286.00	
23	"	6210	"	"	268.00	
24	"	6211	"	"	288.00	
25	"	6212	"	"	302.00	
26	"	6213	"	"	284.00	
27	"	6239			321.00	

योग — 5,187.00

(पाँच हजार एक सौ सतासी रूपयें मात्र)

कंडिका-15 से सम्बन्धित विवरणी। (सामानो की भंडार प्रविष्टि नहीं पाया जाना)

क्र० सं०	विपत्र सं० / वर्ष शीर्ष	अभिध्रव सं० भुगतान तिथि	दूकान का नाम	सामान का नाम	अदद	दर	किमत	भुगतान की गयी राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	127 / 2009-10 2515 (ख)	4633 31.3.10	राजकिशोर, पताही	तौलिया टेबुल क्लॉथ पर्दा लड्डा	2 2 मीटर 2 मीटर 25 मीटर	@ 145/- @ 55/- @ 70/- @ 22/-	290 110 140 550 1090	1045.00	
2.	"	6062 "	श्री शिवम पताही	सदाकागज कार्बन पीन फलाईलीफ टैग	1 रीम 3 पैकेट 5 पैकेट 100 2 गुच्छा	@ 350/- @ 160/- @ 10/- @ 5/- @ 3/-	350 480 50 500 6 1386	1350.00	

		"	मोतीहारी	पंचिंग मशीन	1	@ 55/-	55		
				क्लीप बोर्ड	1	@ 60/-	60		
				फाईल	2	@55/-	110		
				वैट	—	—	20.37		
							285.37	285.00	
4.	"	6168	श्री शिवम् पताही	रजिस्टर	2	@ 20/-	40		
		"		पेन	6	@3/-	18		
				सुतली	1	@ 76/-	38		
					2		96	96.00	
5.	"	6167	"	सुतली	1 / 2	@ 76/-	38		
		"		रजिस्टर	4	@20/-	80		
				कलम	12	@ 3/-	36		
							154	104.00	
6.	"	6166	राज किशोर	मारकीन	20 मीटर	@10/-	200	200.00	
		"	पताही						
7.	"	6146	युगान्तर प्रेस	रोकड़ बही	7	@ 55/-	385		
		"	मोतीहारी	लौग बुक	1	@35/-	35		
				वैट	—	—	16.80		
							436.80	437.00	

		"		हाजरी रजिस्टर	2	305/- @10/-	20 630	630.00	
9.	"	4170	किताब केन्द्र पताही	रजिस्टर (1 जिस्ता)	24	@ 12/-	288		
		"		" (2 जिस्ता)	15	@22/-	330		
				" (3 जिस्ता)	1	@32/-	32 650	650.00	

10.	127 / 2009-10 2515 (ख)	4517 31.3.10	श्री शिवम पताही	रजिस्टर	3	@19/-	57	57.00	
11.	"	4519	किराना दूकान, पताही	ताला	5	@ 52/-	260		
		"		ताला	1	@ 80/-	80		
				ताला	1	@95/-	95 435	435.00	
12.	"	4608	किताब केन्द्र, पताही	रजिस्टर रिफील	12 2 पैकेट	@ 12/- @ 10/-	144 20 164	164.00	
13.	"	4631	उमाशाह किराना दूकान, पताही	ताला	6	@ 50/-	300	300.00	

	2515 (ख)	31.3.11		टैग पीन फलाई लीफ कागज	5 गुच्छा 1 पैकेट 10 5 जिस्ता	@ 5/- @ 10/- @ 5/- @ 12/-	25 10 50 60 193	193.00	
15.	"	6051	उमा किराना जेनरल स्टोर्स, पताही	ताला 31न0 रोज ताला 51न0 रोज	3 1	@ 40/- @ 75/-	120 75 195	190.00	
16.	"	6050	श्री शिवम् पताही	कागज	60 जिस्ता	@ 12/-	720	720.00	
17.	"	6061	"	फ्लैट फाईल निर्गत पंजी रजिस्टर (1जि0) " (2 जि0) गोद	20 1 12 6 2 बोतल	@ 5/- @ 80/- @ 12/- @ 24/- @ 20/-	100 80 144 144 40 508	508.00	
18.	"	6094		डाक टिकट	—	—	550	550.00	
19.	"	6074	श्री शिवम् पताही	पीन पैड पंजी 1 जिस्ता	1 पैकेट 1 6	@ 10/- @ 15/- @ 12/-	10 15 72 97	95.00	

			ढाका			100/-			
21.	"	6073	"	निर्गत पंजी वैट	1 —	@ 100/- —	100 — 4 104		

8213.00

आठ हजार दो सौ तेरह रूपयें मात्र ।